

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email-dfobag-forest-uk.nic.in/ dfo_bageshwar@rediffmail.com

दूरभाष एवं फैक्स नं०: 05963-220249 वन मित्र काल सेटर- 9208008000

पत्रांक 314 / 12-1-2
सेवा में,

बागेश्वर

दिनांक : 29 / 07 / 2025

प्रमुख वन संरक्षक,
एवं गोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय:- जनपद बागेश्वर में हरसीला से सीमा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.519 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No. FP/UK/ROAD/27119/2017)

संदर्भ:- भारत सरकार की पत्र सं० 08बी०/यू०सी०पी०/०६/५७/२०१८/एफ.सी./ दिनांक १४-०७-२०२५।
महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा उक्त प्रस्ताव में जो आपत्तियां लगायी गयी थी। जिनका उत्तरालेख निम्नानुसार प्रेषित किया जा रहा है-

क्र०सं०	ई.डी.एस. आपत्ति	उत्तरालेख
1	The DFO Concerned shall submit detail of the revised area with revised KML as per the road cutting.	पुनरीक्षित KML file के अनुसार 400मी० नापभूमि में सड़क निर्माण किया गया है जो वृक्षहिन क्षेत्र था (संयुक्त निरीक्षण आख्या संलग्न)
2	The DFO concerned shall submit details of the tree in the revised area.	संशोधित क्षेत्र वृक्ष विहिन होने के कारण कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं हुये।

संलग्नक -उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ध्रुव सिंह मर्तोलिया)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग. बागेश्वर

पत्रांक

दिनांकित।

प्रतिलिपि :- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, कपकोट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(ध्रुव सिंह मर्तोलिया)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

संयुक्त निरीक्षण आख्या

कार्य का नाम:- जनपद बागेश्वर में हरसीला सीमा तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.519 है० वनभूमि वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन(FP/UK /ROAD /27119/2017)

अधोहस्ताक्षरी एवं प्रस्ताव विभाग द्वारा भारत सरकार द्वारा अपने पत्रांक सं० 8बी०/यू०सी०पी०/०६/५७/२०१८/एफ०सी० दिनांक 14.07.2025 द्वारा लगायी गयी आपत्ति के कम में पुनः दिनांक 26.07.2025 को अधिशासी अभियन्ता नि०ख०लो०नि०वि०, कपकोट के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसकी आख्या निम्न प्रकार प्रेषित है:-

बिन्दु सं० 1 के कम में :- पुनरीक्षित Kml.file के अनुसार 400मी० नापभूमि में सड़क निर्माण किया गया है जो वृक्ष विहिन क्षेत्र था।

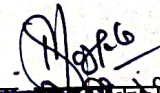
(i) पूर्व में प्रस्तावित मोटर मार्ग (A-B), जो आरक्षित वनभूमि मे स्थित था।

(ii) वर्तमान में संशोधित मोटर मार्ग(C-B) जो समस्त नापभूमि में स्थित है।

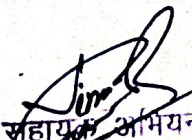
बिन्दु सं० 2 के कम में :- संशोधित क्षेत्र वृक्ष विहिन होने के कारण कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं हुये।

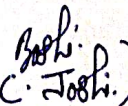
पूर्व में प्रस्तावित सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त मोटर मार्ग में कुल 123 वृक्ष प्रभावित हो रहे थे। जिसमें से प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण के सिविल भूमि कुल 15 वृक्ष प्रभावित हो रहे है तथा जिसमें 108 वृक्षों की बचत हुयी है।

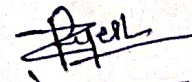

अधिशासी अभियन्ता
नि०ख०लो०नि०वि०
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट कपकोट

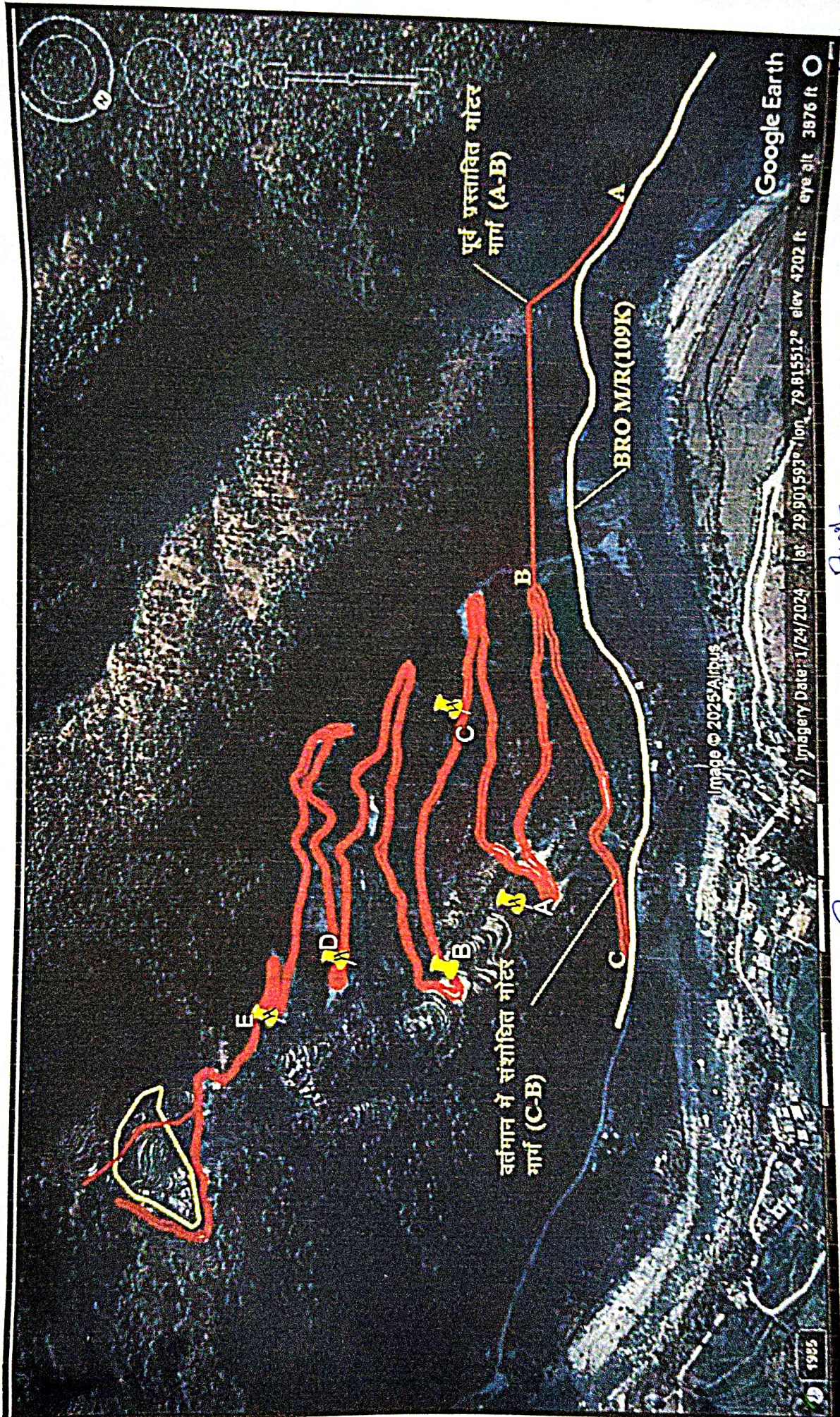

प्रस्तावित वनभूमि वानिकी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर


अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट (बागेश्वर)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट


(R.C. Joshi)
वन अधिकारी
कपकोट वन प्रभाग
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर


(राजेश कुमार)
ब० मा०
पुंर गाँव



प्रिय
(गणेश कुमार)
बुडो 3100
पुनर-परीक्षा

प्रिय,
सहप्रमुख-प्रमुखता
निर्माण खण्ड लोड निओ विओ
कपकोट (बागेश्वर)
कपकोट (बागेश्वर)

अपर सचिव के आगवता
निर्माण खण्ड लोड निओ विओ
कपकोट (बागेश्वर)

अधिरासा अभिसार
निर्माण खण्ड लोड निओ विओ
कपकोट

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, कपकोट

E-Mail : eepwdkapkot@rediffmail.com

Ph./ Fax No. – 05963.253385 (O)

पत्रांक

/ 2ई०

दिनांक

/ 07 / 2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग बागेश्वर।

विषय:-

जनपद बागेश्वर में हरसीला सीमा तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.519 है० वनभूमि
वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD
/27119/2017)

सन्दर्भ:-

भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक सं० 8बी०/यू०सी०पी०/०6/57
/2018/एफ०सी० दिनांक 14.07.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी देहरादून द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं० 03/12-1 देहरादून दिनांक 02.07.2025 द्वारा
विधिवत स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या भारत सरकार, पर्यावरण एवं मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय एफ०आर०ए०
उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित की गयी थी, उनके उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्ताव में आपत्तियाँ लगायी
गयी है। जिनका निम्नानुसार बिन्दुवार निराकरण कर पुनः विधिवत स्वीकृति हेतु आख्या प्रेषित की जा रहा
है।

बिन्दु सं०	लगायी गयी आपत्तियाँ	आख्या
1	The DFO Concerned shall submit detail of the revised area with revised KML as per the road cutting	पुनरीक्षित KML.File के अनुसार 400मी० नापभूमि में सड़क निर्माण किया गया है जो वृक्ष विहिन क्षेत्र था।
2	The DFO concerned shall submit details of the tree in the revised area.	संशोधित क्षेत्र वृक्ष विहिन होने के कारण कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं हुये है।

पूर्व में प्रस्तावित सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त मोटर मार्ग में कुल 123 वृक्ष प्रभावित हो रहे थे।
जिसमें से प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण के सिविल भूमि में कुल 15 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं तथा जिसमें 108
वृक्षों की बचत हुयी है। अतः मोटर मार्ग निर्माण में वन अधिनियम 1980 का कोई उल्लंघन नहीं किया गया
है।

संलग्न-निरीक्षण टिप्पणी

भवदीय,

(अमित कुमार पटेल)
अधिशासी अभियन्ता
नि०ख०लो०नि०वि०,कपकोट

पत्रांक 1398/2ई०

दिनांक 26/07/2025

प्रतिलिपि प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालौनी
उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ एवं विधिवत स्वीकृति हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
नि०ख०लो०नि०वि०,कपकोट